

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 जनवरी 2022—पौष 16, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-16-2021-1-पांच-(01).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 1 के उपनियम 2 के अनुसरण में एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-16-2021-1-पांच(81), दिनांक 23 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित की गई थी, 01 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिसको उक्त नियम के नियम 2 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (6) के खंड (i) और उपनियम (7) के उपबंध प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-16-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-16-2021-1-पांच-(01), दिनांक 6 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6th January 2022

No. F A-3-16-2021-1-V (01).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021, Notification No. F A-3-16-2021-1-V(81) dated 23rd November, 2021, hereby notifies the 1st day of January, 2022, as the date from which the provisions of sub-rule (2), sub-rule (3), clause (i) of sub-rule (6) and sub-rule (7) of rule 2 of the said rules, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.